>

Title: Need for review and effective implementation of laws to prevent atrocities against Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

**श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी):** माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया।

अनुसूचित-जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा संविधान में की गई विशेष व्यवस्थाओं के बावजूद इस वर्ग के विरुद्ध अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही हैं। अनुसूचित-जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत वर्ष 1995 में बनाए गए नियम के अनुसार पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई, लेकिन अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो अत्यन्त गम्भीर विषय है। आज देखने में आता है कि पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और यदि किसी दबाव में रिपोर्ट दर्ज भी कर ली जाती है तो पुलिस किसी न किसी दबाव में अपराधियों को ही संरक्षण देती नज़र आती है। यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा तो पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा और बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है।

90 प्रतिशत से भी अधिक बलात्कार की शिकार अनुसूचित-जाति, जनजाति की महिलाएं हो रही हैं। इससे ऐसा साफ प्रतीत होता है कि या तो वर्तमान कानून में कोई कमी है या इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है, जिसकी समीक्षा की जानी अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित-जाति, जनजाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये तथा उक्त कानून की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन भी किया जाये।

**अध्यक्ष महोदया:** श्री कमल किशोर कमांडो को श्री पी.एल. पूनिया के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।